न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—2025/15

सरकार जरिये रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, तत्कालिन जिला अनूपगढ़

—प्रार्थी

बनाम्

श्री मंगेश कुमार पुत्र हरीराम निवासी वार्ड नं.—25 अनूपगढ़ (एच. पी. होटल)

—अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6 ए

—:निर्णयः— दिनांकः—27.06.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः—

यह है कि दिनांक—19.09.2024 को जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टॉफ, अनूपगढ़ स्थित फर्म/होटल **एच. पी. होटल** पर पहुँचें। जांच के दौरान फर्म **एच. पी. होटल** पर **श्री मंगेश कुमार पुत्र हरीराम निवासी वार्ड नं.—25 अनूपगढ़** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। श्री मंगेश कुमार की उपस्थिति में फर्म **एच. पी. होटल** अनूपगढ़ की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर वेज/नॉनवेज आदि बनाने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए **एच. पी. होटल** पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़ा पाया गया एवं 02 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाये गये, जो भट्टी/चुल्हे से जुड़ा हुआ नही था, उक्त तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये।

श्री मंगेश कुमार ने घरेलू गैस सिलेण्डरों द्वारा प्रतिष्ठान पर वेज/नॉनवेज आदि बनाने में व्यावसायिक कार्य मे उपयोग किया जाना बताया। श्री **श्री मंगेश कुमार** द्वारा उक्त तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नही दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री **श्री मंगेश कुमार** के पास नही मिले। फर्म **एच. पी. होटल** अनूपगढ पर 03 घरेलू सिलेण्डर मय 01 गैस भट्टी, 01 नली रेग्यूलेटर पाईप को जरिए फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी अनूपगढ़ के कार्मिक बिल्लू गिल्होत्रा पुत्र श्री मुश्ताक राय उम्र 55 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.—01 सूरतगढ़ आधार नं.—958926289530 मोबाईल नं. —9610887491 को सुपुर्द किया गया।

जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि **श्री मंगेश कुमार पुत्र हरीराम निवासी वार्ड नं.—25 अनूपगढ़** (**एच. पी. होटल, अनूपगढ़)** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 01 भट्टी, 01 नली रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री साहब राम ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मंगेश कुमार एचपी होटल का ना तो मालिक है तथा ना ही स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया है बल्कि प्रार्थी उक्त होटल पर मजदूरी का कार्य करता है। दिनांक 19.09.2024 को प्रार्थी को जिला रसद अधिकारी द्वारा मिस्त्री मार्केट बुलाया प्रार्थी का उक्त होटल पर कार्य/मजदूरी करने बाबत पूछताछ की गई थी। जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त होटल मजदूरी करना बताया गया था। प्रार्थी द्वारा

स्वयं को उक्त होटल का मालिक नही बनाया गया था। प्रार्थी की मौजूदगी में ना तो उक्त होटल पर किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है तथा ना ही उक्त होटल पर व्यवसायिक सिलेण्डरों का उपयोग किया जाता है। प्रार्थी के पास अपने घर व एक पड़ौसी व्यक्ति का सिलेण्डर जो घरेलू उपयोग हेतु है, वह सिलेण्डर डिलीवरी के लिए बुक करवाऐ गये थे गैस एजेन्सी के व्यक्तियो द्वारा हर बार दुकान पर ही गैस सिलेण्डर का वितरण किया जाता है। तत्पश्चात उक्त सिलेण्डर घर ले जाए जाते है तथा घरेलू उपयोग किया जाता है। जब्त किये गये सिलेण्डर हमारे घर के लिए थे जिसमें से एक सिलेण्डर अशोक कुमार का भरने के लिए रखा गया था। गैस सिलेण्डर मेरे पिता हरिराम के नाम से है जिसका उपभोक्ता क्रमांक–013650 व पड़ौसी अशोक कुमार जिसका उपभोक्ता क्रमांक 76068704 है। जब्त किये गये सिलेण्डर घरू उपयोग हेतु है। मौके पर कागजात अधिकारी को दिखाये गये जिन्हे मानने से इंकार कर दिया। प्रार्थी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन नही किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्सावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री मंगेश कुमार पुत्र हरीराम निवासी वार्ड नं.–25 अनूपगढ़ (एच. पी. होटल)** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1) (क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन है। अतः जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 भट्टी, 01 नली रेगुलेटर को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री मंगेश कुमार पुत्र हरीराम निवासी वार्ड नं.–25 अनूपगढ़ (एच. पी. होटल)** की दुकान से जब्तशुदा(फर्द मौका जब्तीनुसार) 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 भट्टी, 01 नली रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ